न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 60/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 18.04.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. रामावतार आ0 स्व0 हीरालाल
2. राजाराम आ0 स्व0 हीरालाल
3. चकरी बाई बैवा स्व0 हीरालाल
   जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम गंगायचा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा जरिये मुख्तारआम मुकुट आ0 खेमराज, जाति गुर्जर, निवासी खेजड़ा की चौकी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांट्स

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ललित नागर, अभिभाषक –अपीलांट्स
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 11.07.2024

1 अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 09/2010 बउनवान राज0 सरकार बनाम गणेश राम मृतक जरिये का.मु. हीरालाल वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना–पत्र के साथ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जर्ये तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत के प्रार्थना–पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि गणेशराम आ0 जीवन जाति मेघवाल निवासी गंगायचा को ग्राम गांवड़ी, तहसील लाड़पुरा में आराजी खसरा संख्या 138 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 139 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 0.26 हैक्टेयर व खसरा संख्या 141 रकबा 0.13 हैक्टेयर 4 किता कुल 0.61 हैक्टेयर दिनांक 02.06.1989 को आवंटित हुई थी। आवंटी राजस्व रिकोर्ड में गैर खातेदार की हैसियत से अंकित है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के

अति. सं. आयुक्त

अन्तर्गत उसके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः उसका आवंटन निरस्त किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसीलदार, लाड़पुरा को उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त किया जाना नहीं पाये जाने के कारण आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना वर्णित करते हुए उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थी गणेशराम (मृतक) को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 28.01.2011 पारित किया गया।

3 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट्स के स्वर्गीय दादा गणेशराम की गैर खातेदारी की भूमि खाता संख्या 222 नया 197 पुराना के खसरा संख्या 138 की रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 139 की रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 की रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 141 की रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल 4 किता की रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम गांवड़ी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है। स्वर्गीय गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट्स के पिता हीरालाल पुत्र गणेशराम व उनकी माता दाखा बाई बैवा गणेशराम के नाम गैर खातेदारी का फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उक्त भूमि स्वर्गीय गणेशराम को वर्ष 1989 में आवंटित हुई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि 7625/– रूपये जमा कराने हेतु पत्र क्रमांक 487 दिनांक 08.05.1997 जारी किया, जबकि गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में ही हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र पर स्वर्गीय गणेशराम को नोटिस जारी किये तथा हल्का पटवारी से चार बिन्दुओं पर रिपोर्ट दिनांक 29.05.2007 को आदेश पारित करते हुए मंगवायी गयी। तत्पश्चात् गणेशराम के कायम मुकामान बनाये गये। वर्ष 1989 आवंटन के पश्चात् से ही कब्जा काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत अपीलांट्स काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल किये बिना ही उक्त आलौच्य निर्णय दिनांक 28.01.2011 पारित किया जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 07.11.2007 को तहसीलदार लाड़पुरा ने मौके पर जाकर जांच किये बिना ही भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है, कजोड़ पुत्र मदन, निवासी खेड़ला की चौकी, रंगपुर का कब्जा होना मानते हुए गलत व अवैध रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2010 को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करते हुए वास्तविक स्थिति प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि उक्त आवंटन से ही गणेशराम के वारिस व उत्तराधिकारी होने से अपीलांट के पिता हीरालाल व दादी दाखा बाई काश्त करती रही है तथा उनका नाम राजस्व रिकोर्ड में फौती नामान्तरकरण के समय आवंटित भूमि के कब्जे की स्थिति को देखकर ही नामन्तरकरण गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि आवंटन की राशि व ब्याज की बकाया होने की जानकारी प्रथम नोटिस दिनांक 06.04.2009 से हुई है एवं आवंटन की बकाया राशि जमा करवाने के लिए तत्पर है तथा आवंटन की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया है। आवंटन की बकाया राशि जमा करावने में सक्षम नहीं होने संबधी जवाब दिनांक 09.06.1997 पूर्णतया कूटरचित, बनावटी और अपीलांट्स के हितों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गणेशराम को भिजवाये गये नोटिस पर 10 वर्ष पूर्व फौत हो जाने संबधी रिपोर्ट वर्ष 2021 में प्राप्त हुई थी तथा वे अनपढ़ थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे जबकि उक्त प्रार्थना–पत्र पर पर गणेशराम के हस्ताक्षर हो रहे है। इसके पश्चात् वर्ष 1996 में स्वर्गीय हीरालाल मानसिक रोग से ग्रस्त होने के कारण स्वयं भूमि काश्त नहीं कर सकते थे और दाखा बाई महिला होने से भूमि को स्वयं काश्त नहीं कर सकती थी। भूमि आज भी अपीलांट्स काबिज काश्त चली आ रही है। आस–पास के खातेदारान मधु शर्मा एवं महेन्द्र निर्भय है, उनके द्वारा भी शपथ–पत्र में उक्त आराजी पर अपीलांट्स का काश्त काबिज होना वर्णित किया है। अपीलांट्स अनपढ ग्रामीण परिवेश

अति. सं. आयुक्त

के व्यक्ति होने के कारण सक्षम न्यायालय कानून कार्यवाहियों के लिए मुख्ताराआम मुकुट आ0 खेमराज जाति गुर्जर, निवासी खेजडा की चौकी, तह0 लाड़पुरा को दिनांक 02.08.2022 को नियुक्त किया है। अपीलांट के पिता हीरालाल मानसिक रूप से बीमार होने से उनका स्वर्गवास हो गया तथा उनके पूर्व ही माता दाखा बाई का स्वर्गवास हो गया। अपीलांट्स द्वारा सर्वप्रथम निर्णय दिनांक 28.01.2011 की जानकारी दिनांक 15.08.2022 को हल्का पटवारी से होने पर अपील निर्णय की प्रति प्राप्त की जाकर पेश किये जाने के कारण दिनांक 28.01.2011 से लेकर दिनांक 28.08.2022 की समयावधि को कंडोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 641 दिनांक 19.01.2012 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट्स के स्वर्गीय दादा गणेशराम की गैर खातेदारी की वर्ष 1989 में आवंटित भूमि खाता संख्या 222 नया 197 पुराना के खसरा संख्या 138 की रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 139 की रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 की रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा संख्या 141 की रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल 4 किता की रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम गांवड़ी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में स्थित है। गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट्स के पिता हीरालाल पुत्र गणेशराम व उनकी माता दाखा बाई बैवा गणेशराम के नाम गैर खातेदारी का फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि 7625/– रूपये जमा कराने हेतु पत्र क्रमांक 487 दिनांक 08.05.1997 जारी किया, जबकि गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में ही हो चुका है। दिनांक 07.11.2007 को तहसीलदार लाड़पुरा ने मौके पर जाकर जांच किये बिना ही भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है, कजोड़ पुत्र मदन, निवासी खेड़ला की चौकी, रंगपुर का कब्जा होना मानते हुए गलत व अवैध रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2010 को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करते हुए वास्तविक स्थिति प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि उक्त आवंटन से ही गणेशराम के वारिस व उत्तराधिकारी होने से अपीलांट के पिता हीरालाल व दादी दाखा बाई काश्त करती रही है तथा उनका नाम राजस्व रिकोर्ड में फौती नामान्तरकरण के समय आवंटित भूमि के कब्जे की स्थिति को देखकर ही नामन्तरकरण गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि आवंटन की राशि व ब्याज की बकाया होने की जानकारी प्रथम नोटिस दिनांक 06.04.2009 से हुई है एवं आवंटन की बकाया राशि जमा करावने के लिए तत्पर है तथा आवंटन की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया है। आवंटन की बकाया राशि जमा करवाने में सक्षम नहीं होने संबंधी जवाब दिनांक 09.06.1997 पूर्णतया कूटरचित है, गणेशराम को भिजवाये गये नोटिस पर 10 वर्ष पूर्व फौत हो जाने संबधी रिपोर्ट वर्ष 2021 में प्राप्त हुई थी तथा वे अनपढ़ थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे जबकि उक्त प्रार्थना–पत्र पर पर गणेशराम के हस्ताक्षर हो रहे है। अपीलांट्स द्वारा सर्वप्रथम निर्णय दिनांक 28.01.2011 की जानकारी दिनांक 15.08.2022 को हल्का पटवारी से होने पर अपील निर्णय की प्रति प्राप्त की जाकर पेश किये जाने के कारण दिनांक 28.01.2011 से लेकर दिनांक 28.08.2022 की समयावधि को कंडोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 641 दिनांक 19.01.2012 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2014(3) page no. 1136 पेश किया।

6 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

7 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2014(3) page no. 1136 पेश किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8 हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 के नियम 14(4) अन्तर्गत के प्रार्थना–पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण प्रस्तुत करने पर गणेशराम आ0 जीवन जाति मेघवाल निवासी गंगायचा को ग्राम गांवड़ी, तहसील लाड़पुरा में आराजी खसरा संख्या 138 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 139 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 0.26 हैक्टेयर व खसरा संख्या 141 रकबा 0.13 हैक्टेयर 4 किता कुल 0.61 हैक्टेयर दिनांक 02.06.1989 को आवंटित हुई थी। आवंटी आवंटी गैर खातेदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः उसका आवंटन निरस्त किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी गणेशराम (मृतक) को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 28.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में होने के बाद अपीलांट्स के पिता हीरालाल पुत्र गणेशराम व उनकी माता दाखा बाई बैवा गणेशराम के नाम गैर खातेदारी का फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया। आवंटी गणेशराम (मृतक) को राशि 7625/– रूपये जमा कराने हेतु पत्र क्रमांक 487 दिनांक 08.05.1997 जारी किया, जबकि गणेशराम का स्वर्गवास वर्ष 1991 में ही हो चुका है। तहसीलदार लाड़पुरा ने दिनांक 07.11.2007 को मौके पर जांच किये बिना ही भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है, कजोड़ पुत्र मदन, निवासी खेड़ला की चौकी, रंगपुर का कब्जा होना मानते हुए गलत व अवैध रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जबकि गणेशराम के वारिस व उत्तराधिकारी होने से अपीलांट के पिता हीरालाल व दादी दाखा बाई काश्त करती रही है तथा उनका नाम राजस्व रिकोर्ड में फौती नामान्तरकरण के समय आवंटित भूमि के कब्जे की स्थिति को देखकर ही नामन्तरकरण गैर खातेदारी के रूप में दर्ज किया गया है। आवंटन की बकाया राशि जमा करवाने में सक्षम नहीं होने संबधी जवाब दिनांक 09.06.1997 पूर्णतया कूटरचित है, गणेशराम को भिजवाये गये नोटिस पर 10 वर्ष पूर्व फौत हो जाने संबधी रिपोर्ट वर्ष 2021 में प्राप्त हुई थी तथा वे अनपढ़ थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे जबकि उक्त प्रार्थना–पत्र पर पर गणेशराम के हस्ताक्षर हो रहे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय त्रुटि पूर्ण एवं विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के गहनता से सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम गांवड़ी, पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाड़पुरा की जमाबंदी वम्वत 2068–2071 अनुसार खसरा संख्या 138, 139, 140 एवं 141 कुल 4 किता रकबा 0.61 हैक्टेयर पर हीरालाल पुत्र गणेशराम एवं दाखाबाई बेवा गणेशराम जाति मेघवाल गैर खातेदार दर्ज है। मुताबिक पत्रावली नोटिस दिनांक 02.06.89 के प्रत्युतर में आवंटी गणेशराम को ओर से जवाब नोटिस बाबत "भूमि मूल्य की किश्त देय

बकाया राशि जमा कराने के संबंध में'' पेश किया गया जिसमें प्राप्ति दिनांक 09/06 अंकित है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त नोटिस का जवाब आवंटी द्वारा किस वर्ष में दिया गया है। इसी क्रम में पुनः आवंटी गणेशराम को कार्यालय जिला कलक्टर (उपनिवेशन), कोटा की ओर से दिनांक 02.11.99 को नोटिस जारी किया गया, जिस पर तामीली रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ''गणेशराम आ0 जीवन जाति मेघवाल नि0 गंगायचा स्वयं मिला नोटिस लेने से मना किया''। इसके उपरांत दिनांक 25.08.2001 को पुनः प्रकरण संख्या 123/2001 ''आवंटन निरस्तीकरण'' हेतु आवंटी गणेशराम को नोटिस जारी किया गया तथा तामीली रिपोर्ट में अंकित किया गया कि ''गणेशराम मेघवाल का देहांत 10 वर्ष पूर्व हो गया है''। यदि आवंटी गणेशराम का देहान्त 10 वर्ष पूर्व (वर्ष 1991 में) हुआ है तो ऐसी स्थिति में स्वयं गणेशराम की ओर से दिनांक 09/06 को प्रस्तुत जवाब में यह वर्णित करना कि ''प्रार्थी को 487 दिनांक 08.05.97 का एक पत्र रकम जमा करवाने बाबत् प्राप्त हुआ है तथा प्रार्थी की आवंटन किश्त 7625 रूपये दिनांक 09.06.97 तक जमा करवाने के आदेश दिये है, जबकि उक्त पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है'' तथा ''मुझे उक्त भूमि न तो आवंटन की जावे ओर न उक्त रकम जमा करवा सकता हूं'' का स्पष्ट रूप से अवैध एवं कूटरचित होना प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट विरोधाभासी एवं त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होती है। साथ ही तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 777/टीआरए07/777 दिनांक 07.11.2007 अनुसार उपरोक्त आराजी हीरालाल पुत्र गणेशराम एवं दाखाबाई बेवा गणेशराम जाति मेघवाल की गैर खातेदारी दर्ज रिकोर्ड होना बताया गया है तथा भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्ति कजोड़ पुत्र मदन निवासी खेजड़ा की चौकी, रंगपुर का कब्जा होना वर्णित किया गया है। जबकि आवंटी एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है तथा उक्त आवंटित आराजी पर अन्य व्यक्ति किस हैसियत से काबिज है? का मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर गिये बिना गणेशराम (मृतक) को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 28.01.2011 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 28.01.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय मे विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन कर, मौके की वस्तुस्थिति जांच कर, राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी आदि का समुचित परीक्षण कर प्रकरण मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृज मोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा